

अध्याय-५ उत्तर प्रदेश राज्य खाद्य एवं आवश्यक वस्तु निगम लि० कृत्यों के निर्वहन हेतु नियम, विनियम, अनुदेश, निर्देशिका और अभिलेख

निगम के अधिकारियों/कर्मचारियों के कर्तव्यों के निर्वहन हेतु समय-समय पर कार्यालय आदेश जारी किये जाते हैं जिनका संकलन सम्बन्धित अनुभाग अधिकारी एवं प्रति अधिष्ठान के पास संकलित की जाती है। निगम के कर्मचारियों के आचार एवं व्यवहार के सम्बन्ध में निगम में आदर्श आचरण, अनुशासन एवं अपील नियमावली लागू है जिसकी प्रति समस्त अनुभागीय अधिकारियों के पास उपलब्ध है जो समस्त कर्मचारियों को यथा समय उपलब्ध करायी जाती है।